रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-35/2020/2892/22-2-2019-17(59)/2013

लखनऊ: दिनांक: 09 जनवरी, 2020

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए **केन्द्रीय कारागार, आगरा** के सिद्धदोष **बन्दी हसरत (बन्दी संख्या-8889) पुत्र श्री लियाकत, जो-जनैटा, थाना-बनियाठेर, जनपद-मुरादाबाद वर्तमान जनपद-सम्भल** का रहने वाला है, जिन्हें **सत्र परीक्षण संख्या-1192/1998** के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की **धारा-302/34 व 452** के अधीन **दिनांक 26.09.2003** को **मा0 अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट सं0-4), मुरादाबाद** द्वारा **आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित** किया गया, की वृद्धावस्था, काटी गयी सजा, संतोषजनक जेल आचरण एव जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक द्वारा की गयी समयपूर्व रिहाई की संस्तुति के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं, तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए **जिला मजिस्ट्रेट, सम्भल** के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-35/2020/2892(1)/22-2-2019 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, सम्भल।
3- पुलिस अधीक्षक, सम्भल।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in